मैसर्स पेरियार और पारीकन्नी रबर्स लिमिटेड

बनाम

केरल राज्य

(2015 की सिविल अपील संख्या 7034-7037)

सितम्बर 14, 2015

[वि. गोपाल गौड़ा और आदर्श कुमार गोयल, जे.जे.]

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894- एसएस.23(1ए), 28, 34- भूमि अधिग्रहण - मुआवजे की बढ़ी हुई राशि और उसके ब्याज के लिए सोलेशियम का दावा - सोलेशियम पर ब्याज - सोलेशियम के भुगतान की तिथि - रबर एस्टेट का अधिग्रहण - सोलेशियम और मुआवजे पर ब्याज सहित सोलेशियम के लिए पुरस्कार पारित किया गया - बढ़े हुए मुआवजे के संबंध में, उच्च न्यायालय ने माना कि संपूर्ण भूमि के बाजार मूल्य के लिए दिए गए बढ़े हुए मुआवजे के लिए राज्य सरकार द्वारा सोलेशियम देय है। इस प्रकार, इसने रबर के पेड़ों की उपज की पूंजीकरण विधि के आधार पर भूमि मूल्य के उस हिस्से के लिए समाधान प्रदान किया और उत्तरदाताओं को डिक्री के तहत देय शेष राशि की गणना करने का निर्देश दिया - हालाँकि, उच्च न्यायालय ने एसएस के प्रावधानों के तहत उनकी पात्रता की तारीख के बजाय सुंडे आर के मामले में संविधान पीठ द्वारा

दिए गए फैसले की तारीख, 19.09.2001 से सोलेटियम पर ब्याज दिया। 23(1 ए) और 28 - अपील पर, कहा गया: दो न्यायाधीशों के बीच मतभेद के मद्देनजर, मामला बड़ी बेंच को भेजा गया।

कोर्ट ने मामले को बड़ी बेंच को रेफर कर दिया है

<u>प्रति वी. गोपाल गौड़ा.जे:</u>

माना गया: 1.1 भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 11, 15, 23, 24 और 31 के प्रावधानों की व्याख्या से, यह स्पष्ट है कि कलेक्टर के पुरस्कार में मुआवजे की राशि में न केवल धारा के तहत निर्धारित राशि शामिल है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 23(1) लेकिन धारा 23(2) के तहत निर्धारित अतिरिक्त सहायता राशि और अधिनियम की धारा 23(1ए) के तहत देय राशि भी। [पैरा 21] [15-जी-एच; 16-ए]

1.2 सुंदर के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा दिया गया निर्णय अधिनियम की धारा 23(1ए), 28 और 34 के तहत देय विधायी वैधानिक ब्याज के भुगतान के प्रश्न पर बाध्यकारी मिसाल है, जिससे न्यायालय द्वारा दावेदार/डिक्री धारक को वंचित नहीं किया जा सकता है। चूंकि उक्त निर्णय राज्य सरकार पर बाध्यकारी है, इसलिए वह यह तर्क नहीं दे सकती कि वह अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रदान की गई तारीख से उत्तरदायी नहीं है। [पैरा 25] [19-जी-एच; 20-ए]

1.3 सुंदर के मामले में संविधान पीठ का फैसला तत्काल मामले की तथ्यात्मक स्थिति पर उपयुक्त रूप से लागू होता है क्योंकि बढ़े हुए मुआवजे में अधिनियम की धारा 23(2) के तहत प्रदान किए गए 30% की दर से सोलेशियम शामिल है। इसलिए, दावेदार/डिक्री धारक सोलेटियम घटक पर ब्याज का हकदार है जो राज्य सरकार द्वारा दावेदार को देय मुआवजे का हिस्सा है। निष्पादन न्यायालय ने माना कि दावेदार/डिक्री धारक कंपनी केवल भूमि के लिए प्रदान किए गए बढ़े हुए मुआवजे के संबंध में क्षतिपूर्ति का दावा करने की हकदार है, जिसे अलग से तय किया गया है, लेकिन, लगाए गए क्षेत्र के लिए उपज देने वाले रबर के पेड़ों की पूंजीकरण पद्धति के आधार पर भूमि के बाजार मूल्य के उस हिस्से के संबंध में नहीं, जिसे संदर्भ न्यायालय ने अपने पुरस्कार में अलग से तय किया था। उच्च न्यायालय यह मानने में सही था कि दावेदार न केवल भूमि के संबंध में, बल्कि उस भूमि पर खड़े पेड़ों के संबंध में भी ब्याज का हकदार है, जिसका बाजार मूल्य संदर्भ न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाता है। हालाँकि, इसने गुरप्रीत सिंह मामले पर भरोसा करते हुए 19.09.2001 से सोलैटियम पर ब्याज दिया, न कि पूर्व अवधि के लिए। [पैरा 26] [20-बी-एफ]

1.4 मौजूदा मामले के तथ्यों से और सुंदर के मामले में संविधान पीठ द्वारा सोलेटियम पर ब्याज के भुगतान के सवाल पर निर्धारित कानून के आलोक में, यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि उक्त मामला बाध्यकारी

मिसाल है। जहां तक गुरप्रीत सिंह के मामले का सवाल है, उस पर विचार के लिए जो प्रश्न उठा वह केवल अधिनियम के प्रावधानों के तहत पारित पुरस्कार के निष्पादन में विनियोग के नियम के संबंध में था। अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लेख करने के बाद कानून के उक्त प्रश्न का उत्तर देते समय, इसने संयोगवश सोलेटियम पर ब्याज के भुगतान के संबंध में कुछ टिप्पणियां कीं जो कि केवल एक ओबिटर है, लेकिन बाध्यकारी मिसाल नहीं क्योंकि वह प्रश्न संविधान पीठ के समक्ष विचार के लिए नहीं आया। इस कारण से कि अधिनियम के प्रावधानों के तहत पात्रता की तारीख से दावेदार/डिक्री धारक को सांत्वना राशि पर ब्याज के भुगतान के सवाल पर सुंदर के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा निर्धारित बाध्यकारी मिसाल कायम की गई थी। [पैरा 30] [25-एच; 26-ए-ई]

1.5 सुंदर और गुरप्रीत सिंह मामलों के संदर्भ में दिए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, 19.09.2001 से सोलेटियम पर देय ब्याज देने के संबंध में आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश कानून की दृष्टि से दोषपूर्ण है। तदनुसार, आक्षेपित निर्णय और आदेश का वह भाग अलग रखा जाता है। प्रतिवादी-राज्य सरकार को अधिनियम की धारा 23(1ए) और 28 के तहत निर्धारित मुआवजे पर अधिनियम की धारा 23(2) के तहत सहायता सहित ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है। प्रतिवादी-राज्य सरकार को संदर्भ न्यायालय द्वारा दिए गए मुआवजे के संदर्भ में उस

तारीख से गणना करने का निर्देश दिया जाता है जब दावेदार डिक्री धारक सोलेटियम सहित अधिनियम के उक्त प्रावधानों के अनुसार सख्ती से हकदार है। [पैरा 30] [26-ई-एच; 27-ए]

सुंदर बनाम भारत संघ (2001) 7 एससीसी 211: 2001 (3) सप्ल.एससीआर 176 - अनुसरण किया गया।

गुरप्रीत सिंह बनाम भारत संघ (2006) 8 एससीसी 457: 2006 (7) सप्ल.एससीआर 422 - अनुपयुक्त ठहराया गया।

प्रेम नाथ कपूर बनाम नेशनल फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (1996) 2 एससीसी 71: 1995 (5) सप्ल.एससीआर 790; भारत संघ बनाम राम मेहर (1973) 1 सेकंड 109: 1973 (2) एससीआर 120; मीर फज़ीलथ हुसैन बनाम विशेष उप कलेक्टर, भूमि अधिग्रहण (1995) 3 एससीसी 208: 1995 (2) एससीआर 985; यादवराव पी. पथाडे बनाम महाराष्ट्र राज्य (1996) 2 एससीसी 570: 1996 (1) एससीआर 965; पेरियार और पारिकन्नी रबर्स लिमिटेड बनाम केरा राज्य/ए (1991) 4 एससीसी 195; सुंदर बनाम भारत संघ (2000) 10 एससीसी 470; कपूर चंद जैन एवं अन्य। बनाम एच.पी. राज्य सरकार एवं अन्य (1999) 2 एससीसी 89; गुजरात राज्य बनाम वखतसिंहजी वाजेसिंहजी वाघेला एआईआर 1968 एससी 1481: 1968 एससीआर 692; सतिंदर सिंह बनाम उमराव सिंह AIR1961 SC 908: 1961 SCR 676; परम पूज्य

महाराजाधिराज माधव राव जीवाजी राव सिंधिया बहादुर एवं अन्य बनाम भारत संघ एआईआर 1971 एससी 530: 1971 (3) एससीआर 9; निपटान निदेशक बनाम एम.आर. अप्पाराव (2002) 4 एससीसी 638: 2002 (2) एससीआर 661; दीना बनाम भारत संघ (1983) 4 एससीसी 645: 1984 (1) एससीआर 1; सीसीई बनाम रतन मेल्टिंग एंड वायर इंडस्ट्रीज (2008) 13 एससीसी: 20!18 (14) एससीआर 653 - संदर्भित।

मैसर्स पेरियार और पारीकन्नी रबर्स लिमिटेड बनाम केरल राज्य

प्रति आदर्श कुमार गोयल। जे: !असहमति)

अपीलकर्ताओं ने भूमि अधिग्रहण अधिकारी और सहायक आयुक्त बनाम शिवप्पा माफ/अप्पा जिगलुर पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया कि 19-9-2001 के बाद ब्याज के भुगतान का सवाल ही नहीं उठता जबकि राज्य के वकील ने प्रस्तुत किया कि शिवप्पा के मामले में निर्णय तत्काल मामले पर लागू नहीं होता क्योंकि 19 नवंबर, 1992 का निर्णय अंतिम हो चुका था। राज्य के वकील ने **चिमनलाल कुबेरदास मोदी बनाम गुजरात औद्योगिक विकास निगम पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया था कि निष्पादन अदालत डिक्री के पीछे जाने के कारणों की जांच नहीं कर सकती है लेकिन यदि पारित पुरस्कार में, संदर्भ न्यायालय ब्याज के भुगतान के लिए एक विशिष्ट संदर्भ देता है, लेकिन सोलेटियम पर ब्याज के भुगतान के लिए ऐसे किसी भी संदर्भ के बिना और केवल

मुआवजे पर ब्याज का भुगतान प्रदान किया जाता है, तब यह निष्पादन न्यायालय के लिए खुला होगा कि वह सुंदर के अनुपात को लागू करे और घोषित करे कि दिए गए मुआवजे में सोलेटियम शामिल है, और परिणामस्वरूप, राशि पर ब्याज को निष्पादन में जमा करने का निर्देश दिया जा सकता है। आज प्रचलित कानूनी स्थिति होने के कारण, गुरप्रीत सिंह मामले में उक्त फैसले में की गई टिप्पणियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और तदनुसार यह आदेश दिया जाता है कि दिए गए मुआवजे में सोलेटियम शामिल है और इसलिए उक्त राशि पर ब्याज या ब्याज लंबित निष्पादन में प्रतिवादी द्वारा भुगतान किया जाएगा। जब तक राज्य के वकील द्वारा दिए गए निर्णय कायम रहेंगे, अपीलकर्ता सफल नहीं हो सकता। कोई भी विपरीत दृष्टिकोण केवल एक बड़ी पीठ द्वारा ही लिया जा सकता है। इस प्रकार, मामला 3-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष रखा गया है। [पैरा 2-4] [28-एफ;29-ई-एच; 30-ए-ई]

**चिमनलाल कुबेरदास मोदी बनाम गुजरात औद्योगिक विकास निगम। (2010) 10 एससीसी 635: 2010 (13) एससीआर 722; नादिरशा शापुरजी पटेल बनाम कलेक्टर एवं एलएओ (2010) 13 एससीसी 234: 2010 (15) एससीआर 516; छंगा सिंह बनाम भारत संघ (2012) 5 सेकंड 763: 2012 (4) एससीआर 27~ - पर निर्भर।

गुरप्रीत सिंह बनाम भारत संघ (2006) 8 सेकंड 457: 2006 (7) सप्ल.एससीआर 422; *भूमि अधिग्रहण अधिकारी एवं सहायक. कमिश्नर बनाम शिवप्पा मल्लप्पा जिगलुर (2010) 12 एससीसी 387: 2010 (7) एससीआर 833- संदर्भित।

केस कानून संदर्भ

न्यायाधीश आदर्श कुमार गोयल के निर्णय में

1995 (5) सप्ल.एससीआर 790	संदर्भित	पैरा 11
1973 (2) एससीआर 720	संदर्भित	पैरा 16
1995 (2) एससीआर 985	संदर्भित	पैरा 16
1996 (1) एससीआर 965	संदर्भित	पैरा 16
(1991) 4 एससीआर 195	संदर्भित	पैरा 17
(2000) 10 एससीआर 470	संदर्भित	पैरा 19
(1999) 2 एससीआर 89	संदर्भित	पैरा 19
1968 एससीआर 692	संदर्भित	पैरा 21
1961 एससीआर 676	संदर्भित	पैरा 22

2001 (3) सप्ल. एससीआर 176	पालन किया	पैरा 26, 30
2003 (7) सप्ल. एससीआर 422	अनुपयुक्त ठहराया गया	पैरा 27
1971 (3) एससीआर 9	संदर्भित	पैरा 28
2002 (2) एससीआर 661	संदर्भित	पैरा 29
1984 (1) एससीआर 1	संदर्भित	पैरा 29
2008 (14) एससीआर 653	संदर्भित	पैरा 29

'मैसर्स पेरियार एंड पारीकन्नी रबर्स लिमिटेड बनाम केरल राज्य

न्यायाधीश आदर्श कुमार गोयल के निर्णय में

2006 (7) सप्ल.एससीआर 422	संदर्भित	पैरा 2
2010 (7) एससीआर 833	संदर्भित	पैरा 3, 4
2010 (13) एससीआर 722	निर्भर	पैरा 4
2010 (15) एससीआर 516	निर्भर	पैरा 4
2012 (4) एससीआर 275	निर्भर	पैरा 4

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 7034-7037/2015

2009 के सीआरपी संख्या 196, 199, 205 में एर्नाकुलम में केरल उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 07.04.2010 से।

अपीलकर्ता की ओर से वी. गिरी, एम. पी. विनोद।

प्रतिवादी की ओर से बीना माधवन।

न्यायालय के निर्णय और आदेश **न्यायाधीश वी गोपाल गौड़ा** द्वारा सुनाये गये

1. अनुमति दी गई

2. विशेष अनुमति द्वारा ये अपीलें 2009 की नागरिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 196, 199, 205 और 208 में एर्नाकुलम में केरल उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 07.04.2010 के आम फैसले और आदेश के खिलाफ निर्देशित हैं। (विद्वान उप-न्यायाधीश, एर्नाकुलम-निष्पादन न्यायालय के दिनांक 15.10.2008 के आदेश के विरुद्ध दायर), जिसमें पार्टियों के बीच विवाद अधिग्रहीत भूमि के संबंध में मुआवजे की बढ़ी हुई राशि और उस पर ब्याज के लिए मुआवजे के दावे से संबंधित है। उच्च न्यायालय ने पुष्टि की है कि रबर के पेड़ों की उपज की पूंजीकरण विधि के आधार पर भूमि मूल्य के उस हिस्से पर सोलेशियम देय है और डिक्री के तहत देय शेष राशि की गणना करने का निर्देश दिया गया है, लेकिन 19.09.2001 की तारीख से सोलेशियम पर ब्याज दिया गया है, जब सुंदर बनाम

भारत संघ के मामले में संविधान पीठ द्वारा निर्णय इस न्यायालय द्वारा दिया गया था, न कि पूर्व अवधि के लिए। विभिन्न कानूनी तर्कों का आग्रह करते हुए आक्षेपित निर्णय और आदेश की वैधता और वैधता को गंभीरता से चुनौती दी गई है, चूंकि अपीलकर्ता भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (संक्षेप में "अधिनियम") की धारा 28 और 34 के साथ पठित धारा 23(1ए), 23(2) के तहत सोलेशियम के घटक पर देय ब्याज की अस्वीकृति से व्यथित है। दावाकर्ता यूडिक्री धारक को देय मुआवजे का घटक होने के नाते, उच्च न्यायालय द्वारा गुरप्रीत सिंह बनाम भारत संघ के मामले में इस न्यायालय की एक अन्य बाद की संविधान पीठ के फैसले पर भरोसा करते हुए इसके भुगतान पर प्रतिबंध को चुनौती दी गई है।

3. मामले का संक्षिप्त विवरण यहां दिया गया है: -

कुट्टमंगलम गांव में स्थित अपीलकर्ता की रबर संपत्ति के विभिन्न हिस्सों को राज्य सरकार ने पेरियार घाटी सिंचाई परियोजना के प्रयोजन के लिए अधिनियम की धारा 4(1) के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 10.10.1978 के अनुसार अपनी प्रतिष्ठित डोमेन शक्ति का प्रयोग करते हुए अधिग्रहण कर लिया था।

4. 1980 और 1981 में भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा भूमि के बाजार मूल्य पर मुआवजा देने के लिए पुरस्कार पारित किए गए थे,

जो आंशिक रूप से रोपे गए क्षेत्र के लिए उपज देने वाले रबर के पेड़ों की पूंजीकरण पद्धति पर आधारित थे और आंशिक रूप से खाली भूमि के मूल्य पर आधारित थे, जिस पर कोई उपज देने वाले रबर के बागान नहीं थे। पुरस्कारों में सोलेटियम और मुआवजे पर ब्याज सहित सोलेटियम शामिल था।

5. मुआवज़े से असंतुष्ट होकर, अपीलकर्ता ने 1988 का भूमि अधिग्रहण संदर्भ (एलएआर) संख्या 425, 42", 7, 428, 429, 432, 434, 435, 456, 458 और 463 अधिनियम की धारा 18 के तहत तृतीय अतिरिक्त उप-न्यायाधीश, एर्नाकुलम (संदर्भ न्यायालय) की अदालत के समक्ष दायर किया।

6. रिकॉर्ड के अवलोकन के बाद, संदर्भ न्यायालय ने, अपने सामान्य निर्णय द्वारा, 19.11.1992 को आंशिक रूप से लगाए गए क्षेत्र के लिए उपज देने वाले रबर के पेड़ों की पूंजीकरण पद्धति के आधार पर और आंशिक रूप से उस खाली भूमि के मूल्य के आधार पर मुआवजे को बढ़ाकर एक पुरस्कार पारित किया। वहाँ रबर के पेड़ नहीं थे। रेफरेंस कोर्ट ने माना कि दावेदार अधिसूचना की तारीख से 30% सोलेशियम, 12% अतिरिक्त बाजार मूल्य प्राप्त करने का हकदार है, यानी, 10.10.1978 से अवार्ड की तारीख पारित होने तक और वे बेदखली की तारीख से पहले एक वर्ष के लिए 9% ब्याज पाने के भी

हकदार हैं और उसके बाद दावेदार/ डिक्री धारक के पक्ष में दिए गए मुआवजे की प्राप्ति तक 15% ब्याज पाने के भी हकदार हैं।

7. उपरोक्त कुछ एलएआर में, प्रतिवादी-राज्य द्वारा बढ़े हुए मुआवजे, सोलेशियम और मुआवजे पर ब्याज सहित पूर्ण और अंतिम निपटान में भुगतान किया गया था। शेष मामलों के संबंध में, अपीलकर्ता ने संदर्भ न्यायालय द्वारा पारित पुरस्कार/डिक्री के निष्पादन के लिए निष्पादन न्यायालय के समक्ष 1996 की निष्पादन याचिका संख्या 152, 147, 146, 149 और 145 दायर की।

8. निष्पादन न्यायालय ने 15.10.2008 को एक आदेश पारित किया, जिसमें लगाए गए क्षेत्र के लिए उपज देने वाले रबर के पेड़ों की पूंजीकरण विधि के आधार पर अधिग्रहीत भूमि के बाजार मूल्य के उस हिस्से पर सोलैटियम को छोड़कर राज्य सरकार द्वारा देय शेष राशि तय की गई।

9. निष्पादन न्यायालय के उक्त आदेश से व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने केरल उच्च न्यायालय के समक्ष 2009 की सिविल पुनरीक्षण याचिका (सीआरपी) संख्या 196, 199, 201, 205 और 208 दायर की।

10. उच्च न्यायालय ने 07.04.2010 को उक्त सीआरपी में आम आक्षेपित निर्णय और आदेश पारित किया, जिसमें पुष्टि की गई कि संपूर्ण भूमि के बाजार मूल्य के लिए दिए गए बढ़े हुए मुआवजे के

लिए राज्य सरकार द्वारा भुगतान किया जाना है। इस प्रकार, इसने भूमि के उस हिस्से के लिए सांत्वना प्रदान की, जिसका मूल्य रबर के पेड़ों की उपज की पूंजीकरण पद्धति पर आधारित था और उत्तरदाताओं को डिक्री के तहत देय शेष राशि की गणना करने का निर्देश दिया। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने 19.09.2001 से सोलेटियम पर ब्याज दिया। अधिनियम की धारा 23(1ए) और 28 के प्रावधानों के तहत उनके हक की तारीख के बजाय सुंदर के मामले (सुप्रा) में संविधान पीठ द्वारा दिए गए फैसले की तारीख। इसलिए, ये अपील अपीलकर्ता द्वारा विभिन्न आधारों का आग्रह करते हुए दायर की गई हैं।

11. अपीलकर्ता की ओर से विद्वान वरिष्ठ वकील श्री वी. गिरि ने तर्क दिया कि तत्काल मामले में पुरस्कार 1980 और 1981 में पारित किए गए थे और संदर्भ न्यायालय का निर्णय और पुरस्कार 1992 में पारित किया गया था, वह समय था जब सोलैटियम पर ब्याज के भुगतान के संबंध में कोई विवाद नहीं था। 1995 में ही इस न्यायालय ने प्रेम नाथ कपूर बनाम नेशनल फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 3 के मामले में एक निर्णय पारित किया था, जिसमें सोलेटियम पर ब्याज के भुगतान पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन प्रेम नाथ कपूर के मामले में निर्णय बाद में सुंदर (सुप्रा) मामले में उलट दिया गया। इसलिए, गुरप्रीत सिंह (सुप्रा) के मामले

में पैराग्राफ 54 में की गई टिप्पणियों को लागू करके 19.09.2001 से पहले सोलैटियम पर ब्याज के भुगतान को प्रतिबंधित करने का उच्च न्यायालय के पास कोई औचित्य और कारण नहीं था।

12. विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे तर्क दिया है कि प्रतिवादी-राज्य ने पहले ही बिना किसी विवाद के पूरा मुआवजा, मुआवजा और मुआवजे पर ब्याज का भुगतान करके संदर्भ न्यायालय के फैसले में शामिल कुछ मामलों का निपटारा कर लिया है। इससे पता चलता है कि उत्तरदाताओं द्वारा सोलेटियम पर ब्याज के भुगतान को लेकर पार्टियों के बीच कोई विवाद नहीं था। निष्पादन न्यायालय के समक्ष, प्रतिवादी-राज्य द्वारा उठाया गया विवाद उस भूमि मूल्य की मात्रा के बारे में था जिस पर सोलेटियम की गणना की जानी थी।

13. दूसरी ओर, प्रतिवादी-राज्य सरकार की ओर से विद्वान वकील सुश्री बीना माधवन ने गुरप्रीत सिंह के मामले (सुप्रा) के पैराग्राफ 54 पर मजबूत भरोसा रखते हुए आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश को उचित ठहराने की मांग की, जो इस निर्णय के तर्क भाग में निकाला गया है।

14. उन्होंने आगे तर्क दिया कि सोलैटियम पर ब्याज का दावा केवल लंबित निष्पादन मामलों में किया जा सकता है, बंद मामलों में नहीं और निष्पादन अदालतें 19.09.2001 से दावेदार/डिक्री धारक द्वारा

इसकी वसूली की अनुमति देने की हकदार हैं, यानी, सुंदर के मामले में फैसले की तारीख से, न कि किसी पूर्व अवधि के लिए।

15. पार्टियों की ओर से विद्वान वकील द्वारा आग्रह किए गए उपरोक्त प्रतिद्वंद्वी कानूनी प्रस्तुतियों के संदर्भ में, इस न्यायालय को सुंदर और गुरप्रीत सिंह (सुप्रा) के मामलों पर भरोसा करके सोलेटियम घटक पर देय वैधानिक ब्याज के भुगतान को प्रतिबंधित करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त सीआरपी में पारित किए गए सामान्य निर्णय आदेश की सत्यता की जांच करने की आवश्यकता है। इस संबंध में, इस न्यायालय को यह पता लगाना आवश्यक है कि क्या सोलेटियम पर ब्याज का भुगतान सुंदर के मामले में संविधान पीठ द्वारा मान्यता प्राप्त भूमि खोने वाले/दावेदार को प्रदत्त विधायी वैधानिक अधिकार है। उच्च न्यायालय ने गुरप्रीत सिंह के मामले (सुप्रा) में पैराग्राफ 54 में की गई टिप्पणियों के आलोक में दावेदार/डिक्री धारक को सोलैटियम पर देय ब्याज के भुगतान की तारीख 19.09.2001 से तय की है। इसकी सत्यता की जांच भी इस न्यायालय द्वारा की जानी आवश्यक है।

16. उपरोक्त उद्देश्य के लिए, सुंदर के मामले (सुप्रा) में उल्लिखित कानून के प्रश्न का उल्लेख करना आवश्यक होगा, जिसमें यह न्यायालय भारत संघ बनाम राम मेहर (तीन न्यायाधीशों की पीठ) में दिए गए परस्पर विरोधी निर्णयों से निपटता है। और दूसरी ओर, इस

न्यायालय की सह-समान पीठों के बाद के निर्णयों में, मीर फज़ीलथ हुसैन बनाम विशेष उप कलेक्टर, भूमि अधिग्रहण, प्रेम नाथ कपूर (सुप्रा) और यादवराव पी. पथाडे बनाम महाराष्ट्र राज्य।

17. भारत संघ बनाम राममेहर (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय ने भूमि अधिग्रहण (संशोधन और मान्यकरण) अधिनियम, 1967 की धारा 4(3) में अभिव्यक्ति "बाजार मूल्य" के दायरे की जांच करने के बाद यह माना कि सोलेटियम भूमि के बाजार मूल्य का हिस्सा नहीं बन सकता है, बल्कि "बाजार मूल्य" मुआवजे की राशि के निर्धारण में विचार किए जाने वाले घटकों में से केवल एक है। निर्णय का प्रासंगिक पैरा 7 इस प्रकार है:

"7 ..... यदि विधायिका द्वारा बाजार मूल्य और मुआवजे का एक ही अर्थ रखने का इरादा था, तो यह समझना मुश्किल है कि धारा 28 और 34 में "मुआवजा" शब्द का उपयोग क्यों किया गया था, न कि "बाजार मूल्य" का। "मुआवजा" शब्द के अर्थ की कुंजी धारा 23(1) में पाई जाएगी और इसमें (ए) भूमि का बाजार मूल्य और (बी) ऐसे बाजार मूल्य पर 15% का योग शामिल है जिसे अधिग्रहण की अनिवार्य प्रकृति के लिए विचार माना जाता है। इसलिए मुआवजे की राशि के निर्धारण में बाजार मूल्य केवल एक घटक है। यदि विधानमंडल ने 1967 के संशोधन अधिनियम की धारा 4(3) में "बाजार मूल्य" शब्द का उपयोग किया है तो यह माना जाना

चाहिए कि यह जानबूझकर किया गया था और इसका उद्देश्य यह था कि भूमि के बाजार मूल्य पर ब्याज देय होना चाहिए और मुआवज़े की राशि पर नहीं, अन्यथा कोई कारण नहीं था कि संसद को संशोधन अधिनियम के उपरोक्त प्रावधान में "मुआवजा" शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए था।"

(जोर दिया गया)

इस प्रकार, यह भूमि के बाजार मूल्य पर ब्याज के भुगतान का प्रावधान करता है। उक्त निर्णय को बाद में पेरियार एंड पारिकन्नी रबर्स लिमिटेड बनाम केरल राज्य मामले में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा अपनाया गया।' जिसका प्रासंगिक पैरा 24 इस प्रकार है:-

> “24….. इसलिए,हमें यह मानने में कोई झिझक नहीं है कि धारा 25(3) कब्जा लेने की तारीख से अदालत में भुगतान की तारीख तक भूमि के उपयोगकर्ता के नुकसान के लिए भूमि के मालिक को मुआवजा देने के लिए सोलेटियम पर ब्याज के भुगतान पर विचार करती है। मुआवजा शब्द का प्रयोग विधायिका द्वारा सलाहपूर्वक किया गया है। तदनुसार हम मानते हैं कि अपीलकर्ता सोलेटियम पर ब्याज का हकदार है।“

18. दूसरी ओर, मीर फजीलथ हुसैन (सुप्रा), प्रेम नाथ कपूर (सुप्रा) और यादवारो पी. पथाडे (सुप्रा) के मामलों में इस न्यायालय ने माना कि ब्याज पर ब्याज का दावा नहीं किया जा सकता है।

19. इस न्यायालय के उक्त विरोधाभासी निर्णयों के कारण, सुंदर बनाम भारत संघ (दो न्यायाधीशों की पीठ) के मामले में इस न्यायालय द्वारा संविधान/बड़ी पीठ का संदर्भ दिया गया था। संदर्भ आदेश का प्रासंगिक पैराग्राफ इस प्रकार है:

"इस संक्षिप्त प्रश्न पर अनुमति दी गई कि क्या भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 34 के साथ पठित धारा 28 के तहत सोलैटियम पर ब्याज का भुगतान किया जा सकता है, इस आधार पर कि सोलैटियम मुआवजे का एक हिस्सा है। यह प्रश्न स्पष्ट रूप से विचार के लिए उठता है क्योंकि मीर फज़ीलथ हुसैन बनाम विशेष उप-कलेक्टर, भूमि अधिग्रहण, प्रेम नाथ कपूर बनाम नेशनल फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और दूसरी ओर यादवराव पी. पठाडे बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामलों में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के बीच स्पष्ट विरोधाभास है। बाद के तीन-न्यायाधीशों की बेंच के फैसलों में यह माना गया कि सोलेटियम मुआवजे का हिस्सा नहीं है।

हालाँकि, बाद के तीन-न्यायाधीशों की पीठ के किसी भी फैसले में भारत संघ बनाम राम मेहर के मामले में तीन-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के पहले

के दृष्टिकोण पर ध्यान नहीं दिया गया या उस पर विचार नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, हमारे विचार में, इस मामले का निर्णय इस न्यायालय की संविधान/बड़ी पीठ द्वारा किया जाना आवश्यक है। इसलिए, हम निर्देश देते हैं कि इन कार्यवाहियों से उत्पन्न अपीलों को अंतिम निपटान के लिए इस न्यायालय की उचित संविधान/बड़ी पीठ के समक्ष रखने के लिए कागजात को भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जा सकता है।

सुंदर के मामले (दो न्यायाधीशों की पीठ) से पहले, इसी तरह का संदर्भ कपूर चंद जैन और अन्य बनाम एच.पी. राज्य सरकार और अन्य में दिया गया था, जिसके प्रासंगिक पैराग्राफ इस प्रकार हैं: -

"3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने हमारा ध्यान भारत संघ बनाम राम मेहर मामले में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले और बाद में पेरियार और पारिकन्नी रबर्स लिमिटेड बनाम केरल राज्य और नारायण दास जैन बनाम आगरा नगर महापालिका में इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ के दो फैसलों की ओर आकर्षित किया। इन निर्णयों पर भरोसा करते हुए, उन्होंने प्रस्तुत किया कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 28 की प्रयोज्यता के लिए मुआवजे को मुआवजे का एक घटक माना जाना चाहिए और उस पर ब्याज का भुगतान किया जा सकता है; और यह कि उच्च न्यायालय ने ग़लती से सहायता राशि पर ब्याज नहीं दिया है, हालाँकि, प्रेम नाथ कपूर बनाम नेशनल फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में इस न्यायालय की एक और तीन-न्यायाधीश पीठ का फैसला है, जिसमें एक विपरीत दृष्टिकोण लिया

गया है और यह माना गया है कि धारा 23(2) के तहत देय अतिरिक्त राशि पर या धारा 23(1-ए) के तहत देय अतिरिक्त राशि पर कोई ब्याज देय नहीं है। उस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, तीन विद्वान न्यायाधीशों की खंडपीठ ने पी.राम रेड्डी बनाम भूमि अधिग्रहण अधिकारी मामले में इस न्यायालय के एक अन्य फैसले पर भरोसा किया।

4. निर्णयों के इस टकराव को देखते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रेम नाथ कपूर मामले में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ के पास राम मेहर मामले में तीन-न्यायाधीशों की पीठ के पहले के फैसले का उल्लेख करने का कोई अवसर नहीं था, हम निर्देश देते हैं कि इन विशेष अनुमति याचिकाओं को इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष निर्णय के लिए रखा जाएगा। कार्यालय माननीय मुख्य न्यायाधीश से उपयुक्त आदेश प्राप्त कर सकता है।"

20. सुंदर के मामले में संविधान पीठ के संदर्भ का प्रश्न (सुप्रा) इस प्रकार है: -

"क्या राज्य भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 23(2) के तहत परिकल्पित राशि पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है?"

दूसरे शब्दों में, सवाल यह था कि क्या अधिनियम की धारा 34 के साथ पढ़ी गई धारा 28 के प्रयोजन के लिए, सांत्वना मुआवजे का एक हिस्सा है। उत्तर संविधान पीठ के संदर्भ प्रश्न की पुष्टि में था। उक्त प्रश्न का उत्तर देकर इसने ब्याज के भुगतान के प्रश्न के संबंध में कानून निर्धारित किया।

21. अधिनियम की धारा 11, 15, 23, 24 और 31 के प्रावधानों की व्याख्या से और गुजरात राज्य बनाम वखतसिंहजी वाजेसिंहजी वाघेला मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करने के बाद,

यह स्पष्ट है कि कलेक्टर के पुरस्कार में मुआवजे की राशि में न केवल अधिनियम की धारा 23(1) के तहत निर्धारित राशि शामिल है, बल्कि अधिनियम की धारा 23(2) के तहत निर्धारित अतिरिक्त मुआवजा राशि भी शामिल है। उक्त मामले का प्रासंगिक पैराग्राफ इस प्रकार है:

> "9: ..... कलेक्टर को धारा 11 के तहत मुआवजे का पुरस्कार देना होता है और मुआवजे की राशि निर्धारित करने में धारा 15 को ध्यान में रखते हुए, वह धारा 23 और 24 के प्रावधानों द्वारा निर्देशित होता है। धारा 23(1) के तहत भूमि के बाजार मूल्य का पुरस्कार देना आवश्यक है। धारा 23 (2) में अधिग्रहण की अनिवार्य प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, ऐसे बाजार मूल्य पर पंद्रह प्रतिशत की अतिरिक्त राशि के पुरस्कार की आवश्यकता होती है।

22. इसके अलावा, अधिनियम की धारा 28 और 34 को पढ़ने से, यह स्पष्ट है कि 'ब्याज का उद्देश्य' एक अवैतनिक भूमि मालिक को मुआवजा देना है, जो, एक ओर राज्य सरकार द्वारा अपनी प्रतिष्ठित डोमेन शक्ति का प्रयोग करते हुए अनिवार्य अधिग्रहण के अनुसरण में उसकी भूमि के कब्जे से वंचित कर दिया गया है और दूसरी ओर, कब्जा लेने के बदले में, पूर्ण या आंशिक रूप से धन का भुगतान न करके अधिग्रहण के लिए उसे देय धन के उपयोग से भी वंचित रखा

गया है। सतिंदर सिंह बनाम उमराव सिंह 11 के मामले में पैराग्राफ -19 में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया गया है, जो इस प्रकार है:

> "19.. :...जब किसी व्यक्ति द्वारा ब्याज के भुगतान का दावा किया जाता है. जिसकी अचल संपत्ति अनिवार्य रूप से अर्जित की गई है तो वह उचित रूप से या तकनीकी रूप से तथाकथित नुकसान के लिए दावा नहीं कर रहा है; वह अपने दावे को सामान्य नियम पर आधारित कर रहा है कि यदि वह अपनी भूमि से वंचित है तो उसे "तुरंत" मुआवजे का अधिकार दिया जाना चाहिए; यदि नहीं, अनिवार्य अधिग्रहण द्वारा लिए गए कब्जे के बदले में उसे मुआवजे की उक्त राशि पर ब्याज का भुगतान किया जाना चाहिए.... "

धारा 34 को धारा 31 ए के साथ पढ़ना आवश्यक बनाता है। अधिनियम की धारा 31 मुआवजे के भुगतान या उसे न्यायालय में जमा करने का प्रावधान करती है। धारा 31 (1) कहती है, "धारा 11 के तहत एक पुरस्कार देने पर; कलेक्टर पुरस्कार के अनुसार उसके हकदार इच्छुक व्यक्तियों को उसके द्वारा दिए गए मुआवजे का भुगतान करेगा.....इसके अलावा, अधिनियम की धारा 28 में निर्देश दिया गया है कि कलेक्टर को अतिरिक्त मुआवजे पर ब्याज का भुगतान करने के लिए कहा जा सकता है। इसमें कहा गया है, "अगर अदालत की राय में, कलेक्टर को जो राशि मुझे मुआवजे के रूप में देनी चाहिए थी, वह उस राशि से अधिक है जो कलेक्टर ने मुआवजे के रूप में दी थी..." "इस प्रकार, धारा 31 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 34 और अधिनियम की धारा 28 के तहत "राशि" शब्द से यह स्पष्ट है कि पुरस्कार में न केवल अधिनियम की धारा 23(1) के तहत निर्धारित

राशि शामिल है, बल्कि देय राशि भी शामिल है। धारा 23(1 ए) और धारा 23(2) के तहत। सुंदर के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा भी यही माना गया है, जिसका प्रासंगिक पैराग्राफ 23 इस प्रकार है:

> "23 .., 'हम यह स्पष्ट करते हैं कि दिए गए मुआवजे में न केवल धारा 23 की उपधारा (1) के अनुसार प्राप्त कुल राशि शामिल होगी, बल्कि उसके शेष उप-खंड भी शामिल होंगे। इस प्रकार धारा 34 से यह स्पष्ट है कि अभिव्यक्ति "सम्मानित राशि" का अर्थ धारा 23 में निहित प्रावधानों के अनुसार गणना की गई मुआवजे की राशि होगी; उसके सभी उप-अनुभागों सहित।"

24. अधिनियम की धारा 34, 28, 23(1), 23(1 ए), 23(2), 24, 26 और 31 के विज्ञापन के बाद, सुंदर के मामले (सुप्रा) में संविधान पीठ ने ब्याज के भुगतान के संबंध में प्रश्न का उत्तर इस पुष्टि के साथ दिया कि अधिनियम की धारा 26 यह नहीं कहती है कि पुरस्कार में केवल अधिनियम की धारा 23 (1) के तहत दी गई राशि शामिल होगी। आगे यह माना गया कि इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि अधिनियम की धारा 23 की तीन उप-धाराओं में निर्दिष्ट सभी तीन मदें अदालत द्वारा प्रदान की जाने वाली राशि हैं। अधिनियम की धारा 26(1) में "इस भाग के तहत प्रत्येक पुरस्कार" शब्द को अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (1 ए) या उप-धारा (2) के तहत दी गई राशि को अलग करने के बाद पुरस्कार के रूप में नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा सुंदर के मामले (सुप्रा) में पैराग्राफ 20, 21 और 23 में, संविधान पीठ ने निम्नानुसार व्यवस्था दी है-

"20. क्या अधिनियम की धारा 24 में दर्शाए गए मुआवजे के हिस्से के रूप में विचार किए जाने से "अधिग्रहीत भूमि के साथ भाग लेने में रुचि रखने वाले व्यक्ति की किसी भी अनिच्छा" कारक का बहिष्कार ब्याज उपार्जन प्रक्रिया के दायरे से सोलेटियम को बाहर करने में किसी भी तरह की सहायता करेगा।"

"21. इस संदर्भ में यह बताना उचित है कि अधिनियम की धारा 11 के तहत जांच के दौरान कलेक्टर को उन आपत्तियों पर विचार करना होगा जो किसी भी इच्छुक व्यक्ति ने उसे दिए गए नोटिस के अनुसार बताई हैं। यह संभव हो सकता है कि इतना इच्छुक व्यक्ति विभिन्न आधारों, जैसे भावनात्मक या धार्मिक या मनोवैज्ञानिक या पारंपरिक आदि के कारण अर्जित भूमि को छोड़ने में अपनी अनिच्छा को उजागर करने के लिए आपत्तियां पेश करेगा। धारा 24 इस बात पर जोर देती है कि भूमि छोड़ने में रुचि रखने वाले व्यक्ति की अनिच्छा के कारण कोई भी राशि मुआवजे के रूप में नहीं दी जाएगी। वह पहलू उस समाधान से गुणात्मक रूप से भिन्न है जिसे विधायिका "अधिग्रहण की अनिवार्य प्रकृति को ध्यान में रखते हुए" प्रदान करना चाहती थी।

XXX XXX XXX

23. अधिनियम की धारा 34 के तहत कितनी राशि पर ब्याज लगेगा, इस प्रश्न का निर्णय करने में, अधिनियम की धारा 31(1) पर एक नज़र डालना फायदेमंद होगा। वह उपधारा कहती है:-

31. (1) धारा 11 के तहत एक पुरस्कार देने पर, कलेक्टर पुरस्कार के अनुसार उसके हकदार इच्छुक व्यक्तियों को उसके द्वारा दिए गए मुआवजे का भुगतान करेगा और उन्हें इसका भुगतान तब तक करेगा जब तक कि अगले उप-अनुभाग में उल्लिखित किसी एक या अधिक आकस्मिकताओं से रोका न जाए....."

इसके अलावा, उक्त मामले में, अधिनियम की धारा 34 के विज्ञापन के बाद, इस न्यायालय ने इस प्रकार कहा: -

"24. अधिनियम की धारा 34 का प्रावधान स्थिति को और स्पष्ट करता है। प्रावधान कहता है कि "यदि ऐसा मुआवजा" भूमि पर कब्जा लेने की तारीख से एक वर्ष के भीतर नहीं दिया जाता है, एक वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति की तारीख से "मुआवजे की राशि या उसके हिस्से पर, जो ऐसी समाप्ति की तारीख से पहले भुगतान या जमा नहीं किया गया है, ब्याज 15% प्रति वर्ष तक बढ़ जाएगा"। यह समझ से परे है कि सोलेशियम राशि पर एक वर्ष की समाप्ति से केवल बढ़ी हुई ब्याज दर लागू होगी और पूर्ववर्ती अवधि के दौरान सोलेशियम पर कोई ब्याज नहीं होगा। विधायिका का इरादा अधिनियम की धारा 23 के तहत कुल राशि को पुरस्कार पारित होने पर व्यक्ति के हाथों तक पहुंचाने का था, किसी भी दर पर जैसे ही वह अपनी भूमि के कब्जे से वंचित हो जाता है। उक्त राशि के भुगतान में किसी भी देरी से पार्टी को भुगतान प्राप्त होने तक उक्त राशि पर ब्याज मिलता रहेगा। धारा 34 के तहत ब्याज का भुगतान

करने के उद्देश्य से मुआवज़े को अलग-अलग घटकों में विभाजित करना विधायिका के विचार में नहीं था जब यह धारा बनाई गई थी या अधिनियमित की गई थी।"

25. सुंदर के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा दिया गया निर्णय अधिनियम की धारा 23(1ए), 28 और 34 के तहत देय विधायी वैधानिक ब्याज के भुगतान के प्रश्न पर बाध्यकारी मिसाल है, जिससे न्यायालय द्वारा दावेदार/डिक्री धारक को वंचित नहीं किया जा सकता है। चूंकि उक्त निर्णय राज्य सरकार पर बाध्यकारी है, इसलिए वह यह तर्क नहीं दे सकती कि वह अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रदान की गई तारीख से उत्तरदायी नहीं है।

26. सुंदर के मामले (सुप्रा) में संविधान पीठ का फैसला वर्तमान मामले की तथ्यात्मक स्थिति पर उपयुक्त रूप से लागू होता है, क्योंकि बढ़े हुए मुआवजे में अधिनियम की धारा 23(2) के तहत 30% की दर से सोलेशियम शामिल है। इसलिए, दावाकर्ता वीडिक्री धारक सोलेटियम घटक पर ब्याज का हकदार है जो दावेदार को राज्य सरकार द्वारा देय मुआवजे का हिस्सा है। निष्पादन न्यायालय ने माना कि दावाकर्ता वीडिक्री धारक कंपनी केवल भूमि के लिए प्रदान किए गए बढ़े हुए मुआवजे के संबंध में सोलैटियम का दावा करने की हकदार है, जिसे अलग से तय किया गया है, लेकिन, लगाए गए क्षेत्र के लिए उपज देने वाले रबर के पेड़ों की पूंजीकरण पद्धति के आधार पर भूमि के बाजार मूल्य के उस हिस्से के संबंध में नहीं, जिसे संदर्भ न्यायालय ने अपने पुरस्कार में अलग से तय किया था। उच्च न्यायालय यह मानने में सही था कि दावेदार न केवल भूमि के संबंध में, बल्कि

उस भूमि पर खड़े पेड़ों के संबंध में भी ब्याज का हकदार है, जिसका बाजार मूल्य संदर्भ न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाता है। हालाँकि, इसने गुरप्रीत सिंह मामले (सुप्रा) पर भरोसा करते हुए 19.09.2001 से सोलैटियम पर ब्याज दिया, न कि पूर्व अवधि के लिए, जिसका प्रासंगिक पैराग्राफ 54 यहां दिया गया है: -

> "54. इस पीठ द्वारा एक अन्य प्रश्न भी उठाने और उसका उत्तर देने की मांग की गई थी, हालांकि इसे संदर्भित नहीं किया गया था। यह ध्यान में रखते हुए कि यह प्रश्न देश भर की अदालतों में लंबित विभिन्न मामलों में उठता है, हमने वकील को उस प्रश्न पर हमें संबोधित करने की अनुमति दी। वह प्रश्न यह है कि क्या सुंदर में निर्णय के आलोक में, पुरस्कार प्राप्तकर्ता/डिक्रीधारक निष्पादन में सहायता पर ब्याज का दावा करने का हकदार होगा, हालांकि यह विशेष रूप से डिक्री द्वारा प्रदान नहीं किया गया है। यह अच्छी तरह से तय है कि निष्पादन अदालत डिक्री के पीछे नहीं जा सकती। यदि, इसलिए, सोलेटियम पर ब्याज का दावा किया गया था और उसे संदर्भ न्यायालय या अपीलीय न्यायालय के निर्णय या डिक्री द्वारा या तो स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है, निष्पादन अदालत को आवश्यक रूप से सुंदर के आधार पर सोलेशियम पर ब्याज के दावे को इस आधार पर खारिज करना होगा कि निष्पादन अदालत डिक्री के पीछे नहीं जा सकती है। लेकिन यदि संदर्भ न्यायालय या अपीलीय अदालत का पुरस्कार विशेष रूप से सोलेटियम पर ब्याज के प्रश्न का उल्लेख नहीं करता है या ऐसे मामलों में जहां दावा नहीं किया गया था

और संदर्भ न्यायालय या अपीलीय अदालत द्वारा स्पष्ट रूप से या निहित रूप से खारिज कर दिया गया था, और केवल मुआवजे पर ब्याज दिया जाता है, तो निष्पादन अदालत सुंदर के अनुपात को लागू करने के लिए खुली होगी और कहेगी कि दिए गए मुआवजे में सोलेटियम शामिल है और ऐसी स्थिति में राशि पर ब्याज को निष्पादन में जमा करने का निर्देश दिया जाएगा। अन्यथा नहीं. हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि सोलैटियम पर इस तरह के ब्याज का दावा केवल लंबित निष्पादन में किया जा सकता है, न कि बंद निष्पादन में और निष्पादन न्यायालय सुंदर (19-9-2001) में फैसले की तारीख से इसकी वसूली की अनुमति देने का हकदार होगा, न कि किसी पूर्व अवधि के लिए। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि इसमें डिक्री-धारक द्वारा किसी भी पुनर्विनियोग या नए विनियोग की आवश्यकता नहीं होगी। हमने इस प्रश्न पर मुकदमेबाजी की बहुलता से बचने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 और 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए स्पष्टीकरण के माध्यम से यह संकेत दिया है।"

27. गुरप्रीत सिंह के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय का निर्णय, जिस पर प्रतिवादी की ओर से विद्वान वकील द्वारा मजबूत निर्भरता रखी गई है, यह वर्तमान मामले की तथ्यात्मक स्थिति के लिए पूरी तरह से अनुपयुक्त है क्योंकि उक्त मामले में उत्पन्न प्रश्न अलग था, जो इस प्रकार है: -

"धन डिक्री के निष्पादन में विनियोग का नियम क्या है? क्या भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत पुरस्कार डिक्री के मामले में भी नियम

समान है या, क्या भूमि अधिग्रहण (संशोधन) अधिनियम (1984 का 68) द्वारा संशोधित भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 में ऐसा कुछ है जो उस नियम को अनुपयुक्त या पूरी तरह से लागू नहीं करता है?"

उक्त प्रश्न के मुद्दे की जांच की गई और धन डिक्री के निष्पादन में विनियोग के नियम के संबंध में प्रेम नाथ कपूर के मामले (सुप्रा) के संदर्भ में संविधान पीठ द्वारा उत्तर दिया गया। इस संबंध में अधिनियम की धारा 23(1), 23(1 ए), 23(2), 28, 31, 34 एवं 11 का परीक्षण किया गया।

28. गुरप्रीत सिंह के मामले के पैराग्राफ 54 में, सोलेटियम पर ब्याज के भुगतान के संबंध में कुछ टिप्पणियाँ की गई हैं। यदि संदर्भ न्यायालय या अपीलीय न्यायालय विशेष रूप से मुआवजे या मामलों पर ब्याज के प्रश्न का उल्लेख नहीं करता है, तो मुआवजे पर ब्याज निष्पादन चरण में दिया जा सकता है, जिसमें दावा नहीं किया गया था और संदर्भ न्यायालय या अपीलीय न्यायालय द्वारा स्पष्ट या अप्रत्यक्ष रूप से खारिज कर दिया गया था और केवल मुआवजे पर ब्याज दिया गया था। लेकिन जहां संदर्भ न्यायालय या अपीलीय अदालत ने इसे स्पष्ट रूप से या निहितार्थ से अस्वीकार कर दिया है, तो सोलेटियम पर इस तरह का ब्याज नहीं दिया जा सकता है क्योंकि यह कानून का एक अच्छी तरह से स्थापित नियम है कि निष्पादन अदालत डिक्री के पीछे नहीं जा सकती है। एक अन्य बिंदु जो उक्त निर्णय में स्पष्ट रूप से कहा गया है, वह यह है कि सोलैटियम पर ब्याज का दावा केवल लंबित निष्पादन मामलों में किया जा सकता है, न कि बंद निष्पादन मामलों में, जो सुंदर के मामले में निर्णय की तारीख यानी

19.09.2001 से वसूली योग्य है, न कि कोई पूर्व अवधि के लिए। इस मामले में यह भी माना जाता है कि इसमें दावेदार/डिक्री धारक द्वारा कोई विनियोग या पुनर्विनियोजन शामिल नहीं होगा। लेकिन, यह उल्लेखनीय है कि यह वह प्रश्न नहीं था जिसे उक्त मामले में विचार के लिए न्यायालय को भेजा गया था। इसलिए, यह केवल अदालत की एक टिप्पणी है जिसे सोलैटियम पर अधिनियम की धारा 23(1 ए), 28 और 34 के तहत देय वैधानिक ब्याज की पात्रता के संबंध में तत्काल मामले में बाध्यकारी मिसाल के रूप में लागू नहीं किया जा सकता है। यदि लागू किया जाता है, तो यह घूरने के निर्णय के सिद्धांत के विपरीत होगा। इस संबंध में, एच.एच. महाराजाधिराज माधव राव जिवाजी राव सिंधिया बहादुर और अन्य बनाम भारत संघ मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ (11 न्यायाधीशों की पीठ) के फैसले को ध्यान में रखना आवश्यक है, जिसमें पैराग्राफ 138 में यह माना गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के किसी निर्णय में आने वाले किसी शब्द, खंड या वाक्य को, उसके संदर्भ से अलग करके, किसी प्रश्न पर कानून की पूरी व्याख्या युक्त मानना उचित नहीं है, जबकि उस फैसले में इस सवाल का जवाब देना ही नहीं था। पैराग्राफ का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:-

> "138... प्रिवी पर्स के भुगतान के दावे पर विचार करने के लिए न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र का प्रश्न नवाब उस्मान अली खान मामले में निर्धारित नहीं किया गया था, उठाया गया एकमात्र सवाल यह था कि क्या सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 60(1)(जी) के तहत राजनीतिक पेंशन की विशिष्ट छूट के कारण, प्रिवी पर्स सिविल कोर्ट के फैसले के निष्पादन में कुर्की के

योग्य था। कुँवर श्री वीर राजेंद्र सिंह के मामले में, न्यायालय ने कोई राय व्यक्त नहीं की कि अनुच्छेद 366(22) अनुच्छेद 363 के अर्थ के भीतर एक अनुबंध से संबंधित प्रावधान था। उस मामले में याचिकाकर्ता, जिसे राष्ट्रपति द्वारा शासक के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी, ने अपनी याचिका की सुनवाई में धौलपुर के शासक को देय प्रिवी पर्स के अपने दावे को छोड़ दिया, और हिंदू कानून के तहत पूर्व शासक की निजी संपत्ति पर उत्तराधिकार के लिए अपना दावा जताया। न्यायालय को निर्णय लेने के लिए नहीं बुलाया गया था और उसने यह निर्णय नहीं लिया कि अनुच्छेद 366(22) अनुच्छेद 363 के अर्थ के भीतर एक अनुबंध से संबंधित प्रावधान था। इस न्यायालय के फैसले में आने वाले किसी शब्द, खंड या वाक्य को उसके संदर्भ से अलग करके उस प्रश्न पर कानून की पूरी व्याख्या शामिल करना मुश्किल है, जब उस फैसले में उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जाना चाहिए।" [जोर दिया गया]

किसी मामले के अनुपात और ओबिटर डिक्टा के बीच अंतर के संबंध में इस न्यायालय द्वारा उक्त दृष्टिकोण का पालन किया गया है और बाद में दोहराया गया है।

29. निपटान निदेशक बनाम एम.आर. अप्पाराव 13 के मामले में, इस न्यायालय ने बाध्यकारी मिसाल के सिद्धांत पर विस्तार से प्रकाश डाला। प्रासंगिक पैरा 7 यहां पुन: प्रस्तुत किया गया है:

"7...संविधान का अनुच्छेद 141 स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। उपरोक्त अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को कानून घोषित करने का अधिकार देता है। इसलिए, किसी कानून की व्याख्या करना न्यायालय का एक आवश्यक कार्य है। कानून के अलावा अन्य मामलों जैसे तथ्यों पर न्यायालय के बयानों में कोई बाध्यकारी शक्ति नहीं हो सकती है क्योंकि दो मामलों के तथ्य समान नहीं हो सकते हैं। लेकिन जो बाध्यकारी है वह निर्णय का अनुपात है न कि तथ्यों का कोई निष्कर्ष। यह न्यायालय के समक्ष प्रश्नों के आलोक में किसी निर्णय को समग्र रूप से पढ़ने पर पाया गया सिद्धांत है जो अनुपात बनाता है, न कि कोई विशेष शब्द या वाक्य। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या किसी निर्णय में "घोषित कानून" है, इसे तब कानून नहीं कहा जा सकता जब किसी मुद्दे का निपटारा रियायत पर किया जाता है और जो बाध्यकारी है वह निर्णय का अंतर्निहित सिद्धांत है। न्यायालय के निर्णय को उन प्रश्नों के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए जो उस मामले में विचार के लिए उठे थे जिसमें निर्णय सुनाया गया था। अनुपात निर्णय से अलग एक "ओबिटर डिक्टम" उसके समक्ष किसी मामले में सुझाए गए कानूनी प्रश्न पर न्यायालय द्वारा किया गया एक अवलोकन है, लेकिन इस तरह से उत्पन्न नहीं होता है कि निर्णय की आवश्यकता हो। इस तरह के एक ओबिटर के पास एक बाध्यकारी मिसाल नहीं हो सकती है क्योंकि अवलोकन सुनाए गए निर्णय के लिए अनावश्यक था, लेकिन भले ही एक ओबिटर के पास एक मिसाल के रूप में

बाध्यकारी प्रभाव नहीं हो सकता है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इसका काफी महत्व है। ... "

[जोर दिया गया]

दीना बनाम भारत संघ के मामले में इस न्यायालय का निर्णय भी समान स्थितियों वाले मामलों में निर्णय के अनुपात के विस्तार से संबंधित है, चाहे वह तथ्यात्मक हो या कानूनी, लेकिन इसे किसी मामले के तथ्यों पर यांत्रिक रूप से लागू नहीं किया जाना चाहिए, प्रासंगिक पैरा 15 इस प्रकार है:

"15 .... तथ्यात्मक और कानूनी समान स्थितियों वाले मामलों में निर्णय के अनुपात को बढ़ाने की अनुमति है, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि यह यंत्रवत नहीं किया गया है, अर्थात निर्णय के तर्क की बारीकी से जांच किए बिना, जिसे एक मिसाल के रूप में उदधृत किया गया है। कानून के सख्त अनुशासन में भी प्रशिक्षित मानव मस्तिष्क, उन निर्णयों पर भरोसा करने का आसान तरीका अपनाने से गुरेज नहीं करता है जो प्रसिद्ध हो गए हैं और उनके अनुपात को कथित समान स्थितियों में लागू करते हैं .... "

(जोर दिया गया)

राज्य और केंद्र सरकार की तुलना में इस न्यायालय के निर्णय का बाध्यकारी प्रभाव सीसीई बनाम रतन मेल्टिंग एंड वायर इंडस्ट्रीज के मामले में माना जाता है, जिसमें यह माना जाता है कि इस न्यायालय द्वारा निर्धारित

कानून देश का कानून है। . इस प्रकार निर्धारित कानून सभी अदालतों/न्यायाधिकरणों और निकायों पर बाध्यकारी है और राज्य या केंद्र सरकार द्वारा जारी परिपत्र इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून पर हावी नहीं हो सकते हैं।

30. वर्तमान मामले के तथ्यों से और सुंदर के मामले में संविधान पीठ द्वारा सोलेटियम पर ब्याज के भुगतान के सवाल पर निर्धारित कानून के आलोक में, यह स्पष्ट है कि उक्त मामला बाध्यकारी मिसाल है। जहां तक गुरप्रीत सिंह के मामले का सवाल है, उस पर विचार के लिए जो प्रश्न उठा वह केवल अधिनियम के प्रावधानों के तहत पारित पुरस्कार के निष्पादन में विनियोग के नियम के संबंध में था। कानून के उक्त प्रश्न का उत्तर देते समय, अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों को याद करने के बाद, पैराग्राफ 54 में, इसने आकस्मिक रूप से सोलेटियम पर ब्याज के भुगतान के संबंध में कुछ टिप्पणियां की हैं, जो केवल एक आज्ञा है, लेकिन बाध्यकारी मिसाल नहीं है क्योंकि वह प्रश्न संविधान पीठ के समक्ष विचार के लिए नहीं आया था। इसलिए, उपरोक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए, मेरा मानना है कि उन अन्य निर्णयों पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है जिन पर दोनों पक्षों के विद्वान वकील द्वारा भरोसा किया गया था। इस कारण से कि इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा सुंदर के मामले में अधिनियम के प्रावधानों के तहत पात्रता की तारीख से दावे/डिक्री धारक को देय राशि पर ब्याज के भुगतान के सवाल पर बाध्यकारी मिसाल कायम की गई थी। तदनुसार, मैं निम्नलिखित आदेश पारित करता हूँ:-

क) सुंदर प्रथम गुरप्रीत सिंह मामलों (सुप्रा) के संदर्भ में मेरे द्वारा बताए गए उपरोक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए, मेरा विचार है कि 19.09.2001 से सोलेटियम पर देय ब्याज देने के संबंध में लागू सामान्य निर्णय और आदेश कानून की दृष्टि से विकृत है। तदनुसार, आक्षेपित निर्णय और आदेश का वह भाग रद्द किया जाता है।

ख) सिविल अपील की अनुमति है। प्रतिवादी-राज्य सरकार को अधिनियम की धारा 23(1 ए) और 28 के तहत निर्धारित मुआवजे पर अधिनियम की धारा 23(2) के तहत 11ोलैटियम सहित ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है। प्रतिवादी-राज्य सरकार को संदर्भ न्यायालय द्वारा दिए गए मुआवजे के संदर्भ में इसकी गणना करने का निर्देश दिया गया है, जब दावेदार डिक्री धारक अधिनियम के उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार सख्ती से हकदार है और इस निर्णय की प्रति प्राप्त होने की तारीख से 8 सप्ताह के भीतर अपीलकर्ता को भुगतान कर सकता है। मूल्य के हिसाब से कोई आर्डर नहीं।

आदर्श कुमार गोयल, जे. 1. मैंने अपने विद्वान भाई वी. गोपाल गौड़ा, जे. द्वारा तैयार किए गए प्रस्तावित निर्णय का अध्ययन किया है। मैं उससे सम्मानपूर्वक असहमत हूं। गोपा[ए गौड़ा, जे. के फैसले में तथ्यों का व्यापक रूप से उल्लेख किया गया है और इसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

2. रेफरेंस कोर्ट का फैसला 19 नवंबर, 1992 का है, जिसमें स्पष्ट रूप से सोलेशियम पर ब्याज नहीं दिया गया। आक्षेपित आदेश में, उच्च न्यायालय ने गुरप्रीत सिंह बनाम भारत संघ में इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले के बाद, 19 सितंबर, 2001 के बाद की अवधि के लिए सॉलेशियम पर ब्याज को प्रतिबंधित कर दिया, इस प्रकार निर्देश दिया:

> "54. इस पीठ द्वारा एक अन्य प्रश्न भी उठाने और उसका उत्तर देने की मांग की गई थी, हालांकि इसे संदर्भित नहीं किया गया था। यह ध्यान में रखते हुए कि यह प्रश्न देश भर की अदालतों में लंबित विभिन्न मामलों में उठता है, हमने वकील को उस प्रश्न पर हमें संबोधित करने की अनुमति दी। वह सवाल यह है कि क्या सुंदर [(2001) 7 सेकंड 211] में निर्णय के आलोक में, पुरस्कार-डिक्री-धारक निष्पादन में सोलेटियम पर ब्याज का दावा करने का हकदार होगा, हालांकि यह विशेष रूप से डिक्री द्वारा प्रदान नहीं किया गया है। यह अच्छी तरह से तय है कि निष्पादन अदालत डिक्री के पीछे नहीं जा सकती। यदि, इसलिए, सोलेटियम पर ब्याज का दावा किया गया था और उसे संदर्भ न्यायालय या अपीलीय न्यायालय के निर्णय या डिक्री द्वारा या तो स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है, निष्पादन अदालत को आवश्यक रूप से सुंदर के आधार पर सोलेशियम पर ब्याज के दावे को इस आधार पर खारिज करना होगा कि निष्पादन अदालत डिक्री के पीछे नहीं जा सकती है। लेकिन यदि संदर्भ न्यायालय या अपीलीय अदालत का पुरस्कार विशेष रूप से

सोलेटियम पर ब्याज के प्रश्न का उल्लेख नहीं करता है या ऐसे मामलों में जहां दावा नहीं किया गया था और संदर्भ न्यायालय या अपीलीय अदालत द्वारा स्पष्ट रूप से या निहित रूप से खारिज कर दिया गया था, और केवल मुआवजे पर ब्याज दिया जाता है, तो निष्पादन अदालत सुंदर के अनुपात को लागू करने के लिए खुली होगी और कहेगी कि दिए गए मुआवजे में सोलेटियम शामिल है और ऐसी स्थिति में राशि पर ब्याज को निष्पादन में जमा करने का निर्देश दिया जा सकता है। अन्यथा नहीं. हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि सोलैटियम पर इस तरह के ब्याज का दावा केवल लंबित निष्पादन में किया जा सकता है, बंद निष्पादन में नहीं और निष्पादन न्यायालय सुंदर (19-9-2001) में फैसले की तारीख से इसकी वसूली की अनुमति देने का हकदार होगा, न कि किसी के लिए। पूर्व अवधि। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि इसमें डिक्री-धारक द्वारा किसी भी पुनर्विनियोग या नए विनियोग की आवश्यकता नहीं होगी। हमने इस प्रश्न पर मुकदमेबाजी की बहुलता से बचने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 और 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए स्पष्टीकरण के माध्यम से यह संकेत दिया है।"

2. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने भूमि अधिग्रहण अधिकारी और सहायक आयुक्त बनाम शिवप्पा मल्लप्पा जिगलुर पर इस प्रकार भरोसा किया:

"13. अब इस शर्त पर आते हैं कि सोलेटियम पर कोई भी ब्याज केवल 19-9-2001 के बाद की अवधि के लिए दिया जा सकता है, जो सुंदर मामले में

निर्णय की तारीख है। यह स्पष्ट है कि यह फिर से, निष्पादन न्यायालय की शक्ति पर एक सीमा है। यह निर्देश वास्तव में उन मामलों के लिए संदर्भित है जिनमें संदर्भ न्यायालय या अपीलीय अदालत का निर्णय शांत होने के कारण, सोलैटियम पर ब्याज जमा करने के लिए निर्देश देने के लिए निष्पादन न्यायालय को खुला छोड़ दिया जाता है। ऐसे मामलों में, संदर्भ न्यायालय केवल 19-9-2001 के बाद की अवधि के लिए ब्याज मांग सकता है। यह निर्देश किसी भी तरह से मुआवजे में वृद्धि से संबंधित मुख्य कार्यवाही से निपटने वाली अदालत की शक्ति को सीमित नहीं करता है।

14. मामले को दूसरे नजरिये से भी देखा जा सकता है. अपील मूल कार्यवाही की निरंतरता है, इस उप-समूह के मामलों के तथ्यों में, सुंदर में निर्णय की तारीख के बाद ही ब्याज अर्जित करने का कोई सवाल ही नहीं हो सकता है। इस स्तर पर, यह याद किया जा सकता है कि सिविल कोर्ट ने पहले वर्ष के लिए 30% की दर से सोलेशियम और 9% की दर से ब्याज और दूसरे वर्ष से वसूली की तारीख तक 15% की दर से ब्याज देने का फैसला किया था। सिविल कोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य की अपील खारिज कर दी गई। इस प्रकार, संकेतित दरों पर ब्याज के साथ सोलैटियम के भुगतान की दिशा अंतिम हो गई थी। हाईकोर्ट ने मुआवजे की दर बढ़ा दी. इससे अनिवार्य रूप से सोलेटियम की मात्रा में वृद्धि होगी और परिणामस्वरूप सोलेटियम की अवैतनिक राशि पर ब्याज की मात्रा में

वृद्धि होगी। इस प्रकार, किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाए तो 19-9-2001 के बाद ब्याज के भुगतान का प्रश्न ही नहीं उठता।

3. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि शिवप्पा (सुप्रा) का निर्णय वर्तमान मामले पर लागू नहीं होता है क्योंकि 191 नवंबर, 1992 का निर्णय अंतिम हो चुका है। उन्होंने चिमनलाल कुबेरदास मोदी बनाम गुजरात औद्योगिक विकास निगम पर भी भरोसा किया, जो इस प्रकार है:

"15. इसमें कोई संदेह नहीं है कि निष्पादन न्यायालय डिक्री के पीछे जाने के कारणों की जांच नहीं कर सकता है, लेकिन यदि पारित पुरस्कार में, संदर्भ न्यायालय ब्याज के भुगतान के लिए एक विशिष्ट संदर्भ देता है, लेकिन सोलेटियम पर ब्याज के भुगतान के लिए ऐसे किसी भी संदर्भ के बिना और केवल मुआवजे पर ब्याज का भुगतान प्रदान किया जाता है, तब निष्पादन न्यायालय के लिए यह खुला होगा कि वह सुंदर के अनुपात को लागू करे और घोषित करे कि दिए गए मुआवजे में सोलेटियम शामिल है, और परिणामस्वरूप, राशि पर ब्याज निष्पादन में जमा करने का निर्देश दिया जा सकता है। आज प्रचलित कानूनी स्थिति होने के कारण, हम गुरप्रीत सिंह मामले में पूर्वोक्त निर्णय के पैरा 54 में की गई टिप्पणियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। हम तदनुसार आदेश देते हैं कि दिए गए मुआवजे में सोलेटियम शामिल है और इसलिए लंबित निष्पादन में प्रतिवादी द्वारा उक्त राशि पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा।"

इसी प्रभाव के लिए, उन्होंने नादिरशा शापुरजी पटेल बनाम कलेक्टर और एलएओ' और छंगा सिंह बनाम भारत संघ पर भी भरोसा किया।

4. जब तक राज्य के विद्वान वकील द्वारा दिए गए निर्णय कायम रहेंगे, अपीलकर्ता सफल नहीं हो सकता। कोई भी विपरीत दृष्टिकोण केवल एक बड़ी पीठ द्वारा ही लिया जा सकता है। इस प्रकार यह उचित होगा कि मामले को 3-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष रखा जाए।

<u>सामान्य आदेश</u>

आज इन अपीलों में हमारे द्वारा सुनाए गए अलग-अलग निर्णयों के संदर्भ में मतभेदों को ध्यान में रखते हुए, रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वह उचित पीठ को अपील सौंपने के लिए भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष कागजात रखे।

निधि जैन मामला बड़ी बेंच को भेजा गया.

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से अनुवादक रुचिका गुलेच्छा द्वारा किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।